कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /   दिनांक–

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, गया
जिला– गया

महाशय,

नगर निगम, गया के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1204 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14504 / 2306   दिनांक– 31.03.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गया

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर निगम गया
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1204/14–15
(अवधि–2013–14)
भाग–I
प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर निगम गया
2. लेखा की अवधि :– 2013–14
3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 20.10.14 से 27.11.14
5. प्रशासन :–

i) महापौर का नाम	**अवधि**
श्रीमती बिभा देवी	01.04.2013 से 31.03.2014 तक
ii) उपमहापौर का नाम	**अवधि**
श्री अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव	01.04.2013 से 31.03.2014 तक
iii) नगर आयुक्त	**अवधि**
क) श्री धनेश्वर प्रसाद चौधरी बि0 प्र0 से0	01.04.2013 से 31.08.2013 तक
ख) श्री दयाशंकर बहादुर बि0 प्र0 से0	01.09.2013 से 31.12.2013 तक
ग) श्री राम विलास पासवान बि0 प्र0 से0	15.01.2014 से 31.03.2014 तक

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री संगम तिवारी (ले0प0)
2. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
3. श्री राजेश कुमार– III (स0ले0प0अ0)

7 **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम–** श्री राजीव कुमार– I (व0ले0प0अ0)

8 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः–** अप्रस्तुत

9. **सामान्य अभियुक्तिः–** नगर निगम, गया की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएें। नगर निगम, गया प्रशासन से आग्रह है कि असंधारित पंजियों

के संधारण के प्रयास किए जाए। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर निगम प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हाँ (27.11.14)

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹ 73982938.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹ 52277335.00

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर है।

12 बजट :–

बिहार नगरपालिका अधिनियम – 2007 की धारा 84 के भाग (1) के अनुसार नगर निकाय द्वारा तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है, भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाएँगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च 31 के पहले निकाय को भेजे जाऐंगे।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध बजट एवं वार्षिक लेखा के मिलान के कम में पाया गया कि निम्न मद में बजट में व्यय का प्रावधान किया गया था परंतु वास्तविक व्यय कम या शून्य था।

क्र0सं0	मद	संभावित व्यय	वास्तविक व्यय
1	जल स्तर को बनाये रखने हेतु डंडीबाग के निकट ड्रेन निर्माण के लिए अनुदान	50000000.00	शून्य
2	नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 6 स्थानों पर विवाह मंडप एवं सामुदायिक भवन निर्माण	10000000.00	शून्य
3	गया नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बीथो मे बाँध	10000000.00	शून्य
4	SJSRY	35000000.00	923335

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

1. उपरोक्त मद के वास्तविक व्यय शून्य या काफी कम था,
2. जल पर्षद गया एवं योजना एवं विकास शाखा के बजट में प्रावधान किया गया है परंतु वार्षिकलेखा में इसे नहीं लिया गया था,
3. स्वीकृत बजट सरकार से वापस निकाय को भेजा गया है या नहीं यह अंकेक्षण दल को नहीं बताया गया।

उपर्युक्त आपत्ति के जवाब में बताया गया कि

(i) अगले वर्ष से वार्षिक लेखा में इसे रखा जाएगा।

(ii) सरकार से बजट अनुमोदन होकर प्राप्त नही हुआ है।

उत्तर के आलोक में भविष्य में बजट सम्भावित आय एवं व्यय को ध्यान में रख कर बनाया जाए।

13. वित्तीय विवरण और बैलेंश शीट :– तैयार नहीं किया गया।

14. आय– व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता):–

निगम द्वारा उपलब्ध कराये गए सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल.खाता के तैयार किए गए आय–व्यय विवरणी के अंतर्गत निम्न त्रुटि पाया गयाः

(i) आय–व्यय (सहायक रोकड़ बही)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सहायक रोकड़बही के आय– व्यय विवरणी की नमूना जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई।

1. कार्यालय भवन (जीर्णोद्धार), SJSRY, 13वीं वित्त मद की राशि एक ही बैंक पास बुक बैंक ऑफ इंडिया में संधारित की जा रही थी। नियमतः अलग– अलग मद के लिए अलग–अलग पास बुक संधारित किए जाने चाहिए।
2. बी0आर0जी0एफ0 मद की राशि तीन बैंक पासबुक (विजया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक) में संधारित की जा रही थी जिससे यह पता नहीं चला सका कि बी0आर0जी0एफ0 मद में बैंक पासबुक में कितनी राशि अवशेष है।
3. जनगणना, सिटी मैनेजर, रैन बसेरा आदि मद की राशि एक ही बैंक पासबुक बैंक ऑफ इंडिया में संधारित की जा रही है।
4. क्रम सं0 (6),(7) एवं (8) के अंतर का समाधान नहीं किया गया। (विवरणी परिशिष्ट– III पर संलग्न)

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

पूर्व से संधारित खाता है। आगे से सभी मदों को अलग– अलग संधारित किया जायेगा। रोकड़ बही के अनुसार राशि का मिलान कर लिया जायेगा। अतः खाता संधारण एवं राशि का मिलान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

(ii) आय– व्यय (P/L)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़पाल रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय निम्न है :–

प्रारंभिक शेष = 101610380
आय = 311062329
ब्याज = 20845
कुल = 412693554
व्यय = 266200821
अवशेष = 146492733
कोषागार पासबुक के
अनुसार अवशेष = 285150601 (31.03.2014)
अंतर = 138657868

उपर्युक्त आपत्ति के जवाब में बताया गया कि Accountant Cash Book(PL A/C) के अलावा Bank Passbook में राशि है । अतः Overall Statement से स्पष्ट हो जाएगा ।

(III) वित्तीय संव्यवहार – जल पर्षद

40

नगर निगम गया की वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये रोकड़बही एवं संबंधित बैंक पास के अनुसार वित्तीय संव्यवहार बनाया गया जो निम्न है:–

	2013–14	31 मार्च 2014 तक का अवशेष
प्रारंभिक शेष	544321.33	बैंक ऑफ इण्डिया ए/नं0 447510100015618 ₹910094.00
प्राप्ति	15395681.00	
राजस्व प्राप्ति	–	
कुल प्राप्ति	15940002.33	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया ए/नं0 1115990590, पुराना ए/नं0 01000051897 रू0 2118105
व्यय	15395681.00	
अंत शेष	544321.33	पी0एल0 खाता रू0 232973.00

दिनांक 14 मार्च 2013 का अंतशेष की विवरणी एवं 31 मार्च 2014 (13.03.14 को स्थिति) अंतशेष की विवरणी दोनों समान है जो कि निम्न है:–

बैंक ऑफ इण्डिया– ₹258530.00

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया– ₹21258.00

पी0एल0 खाता– ₹264533.00

कुल – ₹544321.33

विभाग को रॉयल्टी एवं कनेक्शन चार्ज (पाईप का कनेक्शन लेने के लिये) कुल प्राप्ति ₹418379.00 को दिनांक 21.04.2014 के बाद पृष्ठ सं0 18 से 19 रदद् कर रोकड़बही में प्राप्ति एवं भुगतान दोनों तरफ प्रविष्टि की गई है।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. विभागीय राजस्व प्राप्ति की ससमय प्रविष्टि नहीं की गई।
2. बैंक ऑफ इण्डिया का 31.03.14 तक का अंतशेष ₹910094.00 है पर रोकड़बही में उक्त दिनांक को ₹258530.00 की ही प्रविष्टी था।

आपति के जवाब में बताया गया कि :–

जल पार्षद के रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दिया गया है।

कंडिका सं0 15. सरकारी अनुदान

संधारित अनुदान पंजी एवं कार्यालय द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराये गये वर्ष 2013–14 की अनुदान की स्थिति निम्नवत हैं:–

1. 01.04.13 को प्रारम्भिक शेष – ₹ 341291737.00
2. वर्ष 2013–14 से प्राप्ति – ₹ 284021761.00
3. कुल अनुदान राशि – ₹ 625313498.00
4. वर्ष 2013–14 में व्यय राशि – ₹ 225827388.00
5. 31.03.14 को अवशेष राशि – ₹ 399486110.00

इतनी बड़ी अनुदान राशि क्यों अव्ययित थी इसका जवाब नहीं दिया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

निगम बोर्ड की बैठक में रख कर खर्च हेतु स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। अव्ययित राशि का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

भाग II (क)– शून्य

भाग–II(ख)

कंडिका सं0 1. अपरिहार्य व्यय ₹10.49 लाख बागेश्वरी रोड में पाईप लाईन योजना (राज्य योजना)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक 157 दिनांक 01.03.11 द्वारा गया नगर निगम हेतु बागेश्वरी रोड में पाईप लाईन योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹6389900.00 स्वीकृत होकर प्राप्त हुआ था। पूर्व में राज्यादेश सं0 1611 दिनांक 31.03.10 द्वारा राशि ₹4921730.00 प्राप्त हुआ था तथा इस पत्र से राशि ₹1468170.00 प्राप्त हुआ था अर्थात कुल राशि रू0 6389900.00 प्राप्त हुआ था। पत्रांक 1611 दिनांक 31.03.10 द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी।

नगर निगम द्वारा 28.01.11 को पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि ₹6888700.00 का तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, असैनिक गया को भेजा गया। वहां से अधीक्षण अभियंता द्वारा 22.02.11 को तकनीकी स्वीकृति दी गयी। तदनुसार कार्य प्रारंभ किया गया।

योजना सं0– 27/2011–12
संवदेक का नाम– श्री प्रमोद कुमार वर्मा, औरंगाबाद
निविदित दर– प्राक्कलित राशि पर
कार्य की राशि–

प्रथम चालू विपत्र	–	₹973908.00 दिनांक 08.02.12
करों की कटौती	–	₹119206.00
संवदेक को भुगतान किया गया राशि	–	₹854702.00 दिनांक 14.03.12

कार्यादेश की तिथि– 27.08.11
कार्य पूर्णता की अवधि– 01 वर्ष

इसके पश्चात् संवेदक द्वारा 01.08.12 को आवेदन दिया गया कि सी0आई0 पाईप का निर्माण बंद है अतः इसके स्थान पर डी0आई0 पाईप की उपयोग की अनुमति देने की कृपा की जाय तथा कार्य की समय सीमा को 03 माह बढ़ाने की कृपा की जाय।

दिनांक 25.08.12 को कनीय अभियंता के द्वारा सी0आई0 के स्थान पर डी0आई0 पाईप लगाने हेतु प्रतिवेदन दिये ताकि संवेदक द्वारा ससमय कार्य कराकर पानी आपूर्ति का कार्य सम्पन्न हो सके।

परन्तु इस पर विचार न कर 3 माह पश्चात सशक्त स्थायी समिति की बैठक 18.04.13 के प्रस्ताव सं0 01 के अनुसार सी0आई0 के स्थान पर डी0आई0 पाइप बिछाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार राशि ₹5160300.00 का प्राक्कलन बनाया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति ₹4998000.00 की 27.04.13 को दिया गया तथा योजना सं0 11/2013–14 लेकर निविदा में भेजा गया। प्राप्त निविदा की विवरण नीचे है:–

संवेदक का नाम– जिनके द्वारा निविदा दिया गया :–

1. मगध टयूबवेल, गया 20 प्रतिशत अधिक पर
2. श्री सुधीर कुमार सिंह, नालंदा 22 प्रतिशत अधिक पर

न्यूनतम दर वाले मगध टयुबवेल, गया द्वारा दिनांक 26.06.13 को दर वार्ता में आने पर विभिन्न कारणों से स्थल का मुआयना कर प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत अधिक पर कार्य करने हेतु सहमत हुये।

38

दिनांक 22.07.13 को इन्हें कार्यादेश निर्गत किया गया इनके द्वारा कृत कार्य व भुगतान का विवरण नीचे है:–

क्र0	बिल सं0	बिल की राशि (10 प्रतिशत जोड़कर)	कटौती की राशि	संवेदक को भुगतान की गयी राशि
01	प्रथम	4207703.00	557102.00	3650601.00
02	द्वितीय एवं अंतिम	1290014.00	170796.00	1119218
कुल		5497717.00	727898.00	4769819.00

अंकेक्षण टिप्पणी :–

पूर्व के संवेदक द्वारा कार्य पूरा करने हेतु 01.08.12 को आवेदन दिया गया था परन्तु उन्हें कार्य नहीं दिया गया। अगर इन्हें कार्य दिया जाता तो राशि ₹ 1049167.00 की बचत होती। प्राक्कलन व कृत कार्य के अनुसार विवरण इस प्रकार है –

कृत कार्य– 1150 मीटर (दूसरे संवदेक द्वारा) पर

क्र0	कृत कार्य का क्रम सं0	पूर्व के संवदेक द्वारा	वर्तमान संवेदक द्वारा
01	01	4064100.00	4064100.00
02	02	131835.00	156537.00
03	03	12410.00	12410.00
04	04	22000.00	22000.00
05	05	15000.00	32000.00
06	06 क	203205.00	260102.00
07	06 ख	–	450776.00
कुल		4448550.00	4997925.00
जोड़ अतिरिक्त		–	499792.00
कुल		**4448550.00**	**5497717.00**

पूर्व के संवदेक को कार्य नहीं देने से राशि ₹1049167.00 की क्षति हुई। पूर्व के संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु आदेश नहीं निर्गत करने का कारण नहीं बताया गया।
आपत्ति के जवाब में बताया गया कि –

> विभाग द्वारा इस संबंध में संचिका में टिप्पणी दी गई है जिस पर सशक्त स्थायी समिति जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने के लिए सक्षम समिति है। जिसका निर्णय निविदा समिति को मान्य होगा। यदि पूर्व संवेदक कार्य हेतु इच्छुक थे तो पुनः निविदा में उपस्थित क्यों नहीं हुए।

जवाब संतोषजनक नहीं था। पूर्व के संवेदक को कार्य नहीं देने से राशि ₹1049167 का अपरिहार्य व्यय हुआ । अतः अपरिहार्य व्यय की राशि ₹10,49,167 की वसूली संबंधित कर्मी/पदाधिकारी से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0 2. निविदा प्रकाशन में समय सीमा का अनुपालन नहीं होने से उचित प्रतिस्पर्द्धा का अभाव व अधिक दर पर भुगतान से निगम कोष की क्षति ₹11.08 लाख।

पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5762 दिनांक 05.06.06 के 02(I) के अनुसार निविदा सूचना प्रकाशन के कम से कम दस दिन बाद निविदा प्राप्त की जायेगी।

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक 2457 दिनांक 16.07.12 "समाचर पत्रों में निविदा का प्रकाशन नियमानुसार करने के विषय में" के अनुसार निविदा के उचित प्रसारण एवं निविदाकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्द्धा लाने हेतु निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में नियमानुसार होना आवश्यक है। इसके आधार पर निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के बीच आकस्मिक परिस्थिति में भी दस दिन से कम अंतर नहीं होना चाहिये।

परन्तु निम्न योजना में उक्त समय सीमा का पालन नहीं किया गया। मात्र सात से नौ दिन का समय मिला। इस कारण उचित प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहा। मात्र दो–दो संवेदक ही आये। सभी का दर प्राक्कलित राशि से अधिक था। दर वार्ता के पश्चात् भी प्राक्कलित राशि से सात से नौ प्रतिशत अधिक पर कार्यादेश दिया गया था।

क्र0 सं0 01 से 05 व 07 से 09 की योजना को निगम की बैठक दिनांक 29.06.13 के प्रस्ताव संख्या 05, क्रम सं0 06 की योजना को निगम की बैठक दिनांक 05.12.13 के कार्यावली सं0 08 अन्यान्य 05 द्वारा अनुमोदित किया गया था। अधिक दर पर कार्य करने से राशि ₹1107997.00 का अधिक भुगतान/व्यय हुआ।

निविदा प्रकाशन में समय सीमा का अनुपालन नहीं हुआ तथा राजस्व क्षति हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों के बारे में भी नहीं बताया गया।

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–IV पर सलंग्न है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि–

उपरोक्त वर्णित आपत्ति के संबंध में स्पष्ट करना है कि भविष्य में निविदा प्रकाशन में समय सीमा पर विषेष ध्यान दिया जायेगा। चारों योजना जलापूर्ति से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि गया में भीषण जल संकट से आम जनजीवन त्रस्त रहता है। आम नागरिको को जलापूर्ति प्रदान करने के खयाल से उक्त चारों योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया अन्यथा जल संकट होने पर आम नागरिको द्वारा सड़क जाम करने से विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है ।

जवाब युक्ति संगत नहीं है, अतः राशि ₹1107997.00 का व्यय अनियमित है। अतः इसे अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है ।

कंडिका सं0 3. कम दर पर किराया वसूली करने से राजस्व की हानि ₹45.16 लाख

लेखापरीक्षा में उपलब्ध मार्केट शाखा दुकान किराया से संबंधित विवरणी माँग तथा वसूली पंजी एवं बैठक पंजी की जाँच मे पाया गया कि दिनांक 10.02.06 बैठक के एजेण्डा सं0 09 के अनुसार निगम के दुकानो का मासिक किराया 4.00 रु0 प्रति वर्गफीट की दर से अप्रैल 2006 से वृद्धि करने का प्रावधान और निगम बोर्ड दि0 29.11.12 की बैठक के कार्यवाही सं0 03 के अनुसार अप्रैल 2013 के प्रभाव से दुकान किराया प्रति वर्ग फीट 1 रु0 बढाने का प्रावधान किया गया, तदनुसार नगर निगम के जी0बी0 रोड मार्केट के दुकान का किराया 1 अप्रैल 2013 से 7 रु0 और दिग्घी तालाब स्थित मार्केट के दुकान का किराया 5 रु0 निर्धारित किया गया। समाहरणालय के बायीं ओर जिला परिषद के मिर्जा गालिब मार्केट के दुकान के बाद नगर निगम के जी0बी0 रोड स्थित दुकान अवस्थित है। इसी प्रकार समाहरणालय के दायीं ओर दिग्घी तालाब मार्केट की दुकान स्थित है। जिला परिषद के मिर्जा गालिब मार्केट के दुकान का किराया 1 अप्रैल 2006 से प्रति वर्गफीट 8 रु0 की दर से वसूली की जा रही है जबकि नगर निगम के जी0 बी0 रोड स्थित दुकान एवं दिग्घी तालाब स्थित दुकान का किराया जिला परिषद के दुकान किराया के निर्धारित दर से कम वसूल किया जा रहा है। जबकी दोनों स्थान पर स्थित दुकान जिला परिषद के मार्केट समाहरणालय के समीप है । कम दर पर पसूली करने से नगर निगम को राजस्व की हानी हो रही है। विवरणी निम्न है –

B6

क. जी0बी0 रोड स्थित नगर निगम की मार्केट विवरणी :–

1.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	परिषद द्वारा निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
जी0बी0 रोड स्थित मार्केट	06	08	02	1600	72	230400

2.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (2013–14)	परिषद द्वारा निर्धारित दर (2013–2014)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
जी0बी0 रोड स्थित मार्केट	07	08	01	1600	12	19200

कुल (230400+19200) ₹249600

ख. दिग्घी तालाब स्थित नगर निगम के मार्केट विवरणी :–

1.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	जिला परिषद द्वारा निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
दिग्घी	04	08	04	13168	72	3792384

2.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (2013–14)	परिषद द्वारा निर्धारित दर (2013–14)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
दिग्घी	05	08	03	13168	12	474048

कुल (3792384+474048)= ₹4266432

राजस्व के रूप में कम वसूली गई राशि (4266432+249600)= ₹4516032.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. दुकान किराया का पुनरीक्षण समीप के जिला परिषद के दुकान के दर से कम रहने के कारण 2006–07 से 2013–14 तक कुल ₹4516032 राजस्व की हानि हुई ।
2. किसी भी दुकान के एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. दिग्घी तालाब के मार्केट शाखा विवरणी के अनुसार क्र0सं0 10 ए, 11 ए और 12 ए के अनुसार कुल माँग के आधार पर वसूली की गयी है, परन्तु बकाया 31.03.2014 को ₹34220 कम दर्शाया गया है। विवरणी निम्न है –

क्र0सं0	मार्केट शाखा दुकान का नाम/दुकान सं.	कुल माँग	वसूली	विवरणी के अनुसार बकाया	वास्तविक बकाया
1.	दिग्घी तालाब (महेन्द्र कु0 वर्मा)/10 ए	13770	1860	1200	11910(10710)
2.	–तथैव–/11 ए	17640	4860	1200	12780(11580)
3.	अमित कुमार/12 ए	18140	4410	1800	13730(11930
					कुल– ₹34220

आपत्ति में जवाब बताया गया कि –
जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला परिषद की दर पर किराया की वसूली नहीं होने से नगर निगम को अप्रैल 2006 से राजस्व की क्षति हो रही है। यह तो सिर्फ दो मार्केट के संबंध में है। अन्य मार्केट की 2006 से किराया की दर को भी बाजार दर के बराबर लाने का अपेक्षित प्रयास किया जाय साथ ही सभी दुकानों की एकरारनामा प्रति को भी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। राजस्व की क्षति राशि ₹4516032 को जिम्मेवार पदाधिकारी या कर्मी से वसूली कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ii) साथ ही दुकान सं0 10 ए, 11 ए व 12 ए की वास्तविक माँग से कम बकाया राशि ₹34220.00 की वसूली हेतु भी अपेक्षित प्रयास किया जाए तथा इसे कम दर्शाने का कारण भी अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए।

कंडिका सं0 4. योजना में अधिक भुगतान ₹51864.00
योजना सं0– 43/2013–14 (राज्य अनुदान)
योजना का नाम– वार्ड सं0 04 अंतर्गत बागेश्वरी में बोरिंग कर पाईप लाईन विस्तार एवं पोल तार लगाने का कार्य (400 मीटर)
प्राक्कलित राषि– ₹1476700.00
निविदादाता का नाम एवं दर–
1. मगध ट्युबवेल इंजीनियरिंग वर्क्स, कुजापी, गया। दर 12 प्रतिशत अधिक पर
2. जितेन्द्र प्रकाश, चन्दौती, गया। दर 13 प्रतिशत अधिक पर

योजना की स्वीकृति की तिथि– नगर निगम बोर्ड की 29.06.13 की बैठक के प्रस्ताव सं0 05 द्वारा
दर वार्ता पर निविदित दर– 10 प्रतिशत अधिक पर मगध ट्युबवेल इंजीनियरिंग वर्क्स, कुजापी, गया (निगम बोर्ड की बैठक 05.12.13 के कार्यावली सं0 08 अन्यान्य 05 द्वारा)
कार्यादेश की तिथि– 18.12.2013
अतिरिक्त प्रावधान– निगम बोर्ड की बैठक 05.12.13 के कार्यावली सं0 08 अन्यान्य 05 द्वारा 100 मीटर अतिरिक्त हेतु ₹250000.00
तकनीकी स्वीकृति– 20.12.13
निविदित राशि– प्रथम 400 मीटर हेतु ₹1476700.00 + 10 प्रतिशत अधिक ₹1624370.00
अतिरिक्त 100 मीटर हेतु ₹250000.00
कुल ₹1874370.00

B4

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. अधिक भुगतान– प्राक्कलन व मापीपुस्त के आधार पर कार्य की राशि निम्नवत थी –

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलन	मापी पुस्त/पृष्ठ सं0	भुगतेय राशि
01	400 मीटर	1476700 + 147670	1429365 + 142936 /पृष्ठ15	1572301.00
02	अतिरिक्त 100 मीटर	250000.00	274422 / पृष्ठ 21	250000.00
			कुल	1822301.00

संवेदक की बिल की राशि ₹1874165 में से करों की कटौती ₹249779 कर राशि ₹1624386 का भुगतान 24.01.14 को किया गया। इस प्रकार राशि ₹51864 (1874165– 1822301) का अधिक भुगतान संवेदक को किया गया।

अधिक भुगतान के कारण अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

2. जिस 05.12.13 की बैठक में अतिरिक्त कार्य ₹250000.00 की स्वीकृति दी गई इसकी अध्यक्षता श्री राकेश कुमार, प्रभारी कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद द्वारा नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में किया गया तथा ये ही इस योजना के कार्यपालक अभियंता भी थे।
   भुगतान के पूर्व महापौर/उपमहापौर की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी।
3. अतिरिक्त स्वीकृति कार्यादेश के पश्चात किस नियम के अंतर्गत दी गई यह अंकेक्षण में अस्पष्ट था।

आपति में जवाब बताया गया कि :–

प्राक्कलित राशि के अंतर्गत ही राशि का भुगतान किया गया है।

जवाब तर्क संगत नहीं था, अतिरिक्त 100 मीटर के लिए मात्र ₹2,50,000 का ही प्रावधान किया गया था। अतः अधिक भुगतान राशि ₹51,864 की वसूली संबंधित संवेदक से कर अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0 5(i) एकल निविदा ₹54.51 लाख

3 अदद 50 H.P मोटर पम्प व 06 अदद 20 H.P मोटर पम्प का क्रय मे0 प्रकाश ट्रेडर्स, गया से किया गया था।

विवरण नीचे है –

क्र0	विवरण	50 H.P सबमर्सिबल मोटर पम्प	20 H.P सबमर्सिबल मोटर पम्प
1.	समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि	1.11.12	1.11.12
2.	कोटेशन डालने की तिथि	9.11.12	9.11.12
3.	कोटेशन खोलने की तिथि	9.11.12	9.11.12
4.	अंतर का दिन	7 दिन	7 दिन
5.	प्राप्त कोटेशन निविदा की संख्या व नाम	1 अदद मे0 प्रकाश ट्रेडर्स गया	1 अदद मे0 प्रकाश ट्रेडर्स गया
6.	प्रति अदद दर	1380000	218600
7.	अदद की दर	3 अदद	6 अदद
8.	बिल कि राशि	4140000	1311600
9.	सुरक्षित जमा, आयकर, वैट व लेवर कर की कटौती	548136	173657
10.	संवेदक को भुगतान किया गया राशि	3591864	1137943
11.	आपूर्ति की तिथि	10.3.13	18.3.13

अंकेक्षण टिप्पणी

1. निविदा प्राप्ति तथा समाचार पत्र मे प्रकाशन में समय सीमा का अनुपालन नही होने से उचित प्रतिस्पर्धा का अभाव :–
नगर विकास एवं अवास विभाग के पत्रांक 2457 दि0 16.7.12 के अनुसार निविदा प्रकाषन की तिथि तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बीच कम से कम 10 दिन का अंतर होना चाहिए।
पुनः पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5762 दि0 05.06.06 के 2(1) के अनुसार निविदा प्रकाशन के कम से कम 10 दिन बाद निविदा प्राप्त की जायेगी परंतु उपरोक्त में मात्र 7 दिन का अंतर था। इससे स्पष्ट है कि उक्त निविदा का उचित प्रचार – प्रसार नहीं हुआ तथा उचित प्रतिस्पर्धा का अभाव था। ज्ञातव्य है कि मात्र एक हीं निविदा प्राप्त हुआ। समय सीमा का पालन नहीं हुआ। इसे रदद् नहीं किया गया।
2. **एकल निविदा** :–बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की हालत में निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि उचित प्रक्रिया पर प्रचार का आश्रय सुनिश्चित रुप से लिया गया ।
परंतु इसमें उचित प्रचार प्रसार का अभाव था। निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नही किया गया था। इस प्रकार राशि ₹5451600 का अनियमित व्यय हुआ इसका कारण स्पष्ट किया जाए।
3. बिना आवश्यकता के मोटर पम्प क्रय करना :–
नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 15.9.12 के प्रस्ताव सं0 5 (iv) (03) के अनुसार 20 एच0पी0 की 05 अदद् व 50 एच0पी0 की एक अदद् क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। पुनः 24.9.12 के प्रस्ताव सं0 के द्वारा इसकी सम्पुष्टि की गयी।
इसके विरुद्ध 20 H.P की 6 अदद एवं 50 H.P की 3 अदद का कय हुआ था। 20 H.P की मोटर 18.3.13 व 50 H.P की मोटर 10.3.13 को प्राप्त हुआ था ।
इसके भंडार पंजी के अनुसार के 06 अदद 20 H.P मोटर के विरुद्ध अब तक मात्र 02 ही अधिष्ठापित हुआ था तथा शेष 4 अदद राशि ₹ 8,74,400 का निरर्थक पड़ा हुआ था। बिना आवश्यकता के मोटर की कय किया गया ।
पुनः जिन स्थलो पर 50 H.P व 20 H.P की मोटर अधिष्ठापित हुआ था वहाँ पर पूर्व की क्या स्थिति थी यह अस्पष्ट था।

आपत्ति के जवाब बताया गया कि :–

(i) निविदा प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा किया जाता है। यह अति अल्पकालीन निविदा थी।

(ii) एकल निविदा की स्वीकृति 29/01/2013 के कय समिति की बैठक में दी गयी है जो एक स्थान उपर है।

(iii) ज्ञात हो निगम क्षेत्र में कोई 50 से अधिक बोरिंग है। जिसमें स्टैण्ड बाई हेतु अधिक संख्या में मोटर उपलब्ध रखना अनिवार्य है ताकि जलापूर्ति बाधित न हो ।

एक ही निविदा प्राप्त होने पर यह केवल एकल निविदा था, साथ ही उचित प्रचार– प्रसार एवं उचित प्रतिस्पर्धा का भी अभाव था। क्रय समिति के समक्ष तो इसे खोला ही गया था, इसके एक स्तर ऊपर की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही इसका क्रय किया गया। निविदा प्रकाशन में इसे अल्पकालीन निविदा नहीं दर्शाया गया था। लगभग 18 माह बीतने के पश्चात भी 20 hp की 4

32

अदद का अधिष्ठापन नहीं करने से स्पष्ट है कि बिना आवश्यकता के इसका क्रय किया गया तथा सरकारी राशि दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार एकल निविदा के कारण राशि ₹5451600.00 अनियमित व्यय हुआ तथा उचित एवं सक्षम स्पष्टीकरण तक इसे अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 5(ii) एकल निविदा (राज्य योजना)/अनियमित व्यय ₹22.5 लाख

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की हालत में निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि उचित प्रक्रिया और प्रचार का पालन सुनिश्चित रूप से लिया गया।

परन्तु इसके विपरीत निम्न योजना मे इसका पालन नही हुआ।

योजना सं0– 86/12–13
योजना का नाम– 110 एच0पी0 भी0टी0 मोटर पम्प (सभी सामग्री सहित कम्पलीट सेट) की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।
परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि– 29.10.2012
निविदा खोलने की तिथि– 01.11.2012
प्राप्त कोटेशन/निविदा संख्या– 01 अदद, मेसर्स प्रकाश ट्रेडर्स, गया
कोटेशन दर– ₹2291000.00

क्रय समिति द्वारा दर वार्ता के अनुसार ₹2250000.00 पर कार्यादेश इन्हें निर्गत किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत बिल की राशि ₹2250000.00 में करो की कटौती राशि ₹297900.00 कर शेष राशि ₹1952100 का भुगतान (30.10.13 व 10.12.13) को किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. निविदा की शर्त सं0 04 के अनुसार "कम्पनी या कम्पनी के अधिकृत विक्रेता ही सिर्फ निविदा में भाग ले सकते है" शर्त सं0 02 के अनुसार तकनीकी बिड में सफल होने वाले आपूर्तिकर्ता का ही वित्तीय बिड क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

   श्री प्रकाश ट्रेडर्स, गया द्वारा "कम्पनी या कम्पनी के अधिकृत बिक्रेता" के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था फिर नोट सीट पर दिनांक 03.11.12 को यह कैसे दर्शाया गया कि सभी वांछित कागजात दिया गया है जबकि तुलनात्मक विवरणी में इसका कॉलम खाली था।

   उक्त प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता पर वित्तीय बिड नहीं खोलने चाहिये था तथा पुर्ननिविदा करना चाहिये था। इस प्रकार अपने ही शर्त के विरूद्ध नगर निगम द्वारा वित्तीय बिड खोला गया जो कि अनियमित था। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
2. उपरोक्त नियमानुसार "एकल निविदा रहने के कारण क्रय सामग्री की बैठक 29.01.13 के क्रम सं0 18 के अनुसार 05.02.13 को बिना उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। सशक्त स्थायी समिति/निगम बोर्ड की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं किया गया था। भुगतान के समय दिनांक 31.10.13 व 10.12.13 को अथवा इसके पूर्व महापौर की स्वीकृति अथवा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

   इस प्रकार वांछित कागजात अनुउपलब्ध रहने, एकल निविदा में उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आपूर्तिादेश देना अनियमित था तथा अनियमित व्यय हुआ।
   कोई जवाब नहीं दिया गया।

उपरोक्त आपत्ति का कोई जवाब नहीं देने के कारण व्यय राशि ₹22,50,000 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

कंडिका सं0 6. सैरात की विभागीय वसूली में राजस्व की क्षति (पंचायती अखाड़ा बस स्टैण्ड)

आपत्ति ज्ञापांक सं0 एल0ए0/एस0एस.1/आर0के0/ 35 दिनांक 20.11.14 के संदर्भ में कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय वसूली की विवरण

2011–12 में 647115
2012–13 में 604055
2013–14 में 587440
कुल – 1838610
1.4.14 से 19.6.14 तक – 204760
कुल – 2043370

राशि ₹2043370 की वसूली वर्ष 2011–12 से 19.06.14 तक की पंचायती अखाड़ा बस स्टैण्ड की विभागीय वसूली की गयी। वर्ष 2014–15 में 01.04.14 से 19.06.14 तक विभागीय वसूली प्रतिदिन ₹2559.58 की दर से श्री बिनोद कुमार, कर संग्रहक के द्वारा की गयी। जबकि प्रति गाड़ी निगम द्वारा निर्धारित दर दिनाक 30.06.09 से यथावत है। फिर भी इसकी वसूली में प्रतिवर्ष गिरावट पायी गयी। जो न्यायसगंत नहीं है। अगर ₹2559.5 को ही आधार माना जाय तो 2011–12 से 2013–14 तक राजस्व की वसूली में हुई हानि की गणना निम्न है –

वित्त वर्ष	वसूलीकर्ता का नाम	प्रतिवर्ष वसूली	प्रतिदिन वसूली (गणना में)	रू0 2559.5 के आधार पर हुई हानि (प्रतिदिन) (N)	प्रतिवर्ष क्षति (365 x N)	अभ्युक्ति
2011–12		647115	1772.98	786.52	287079.80	
2012–13	श्री अजय कुमार, टी0सी0	604055	1654.95	904.55	330160.75	
	श्री अवधकिशोर शर्मा, टी0सी0					
	श्री रामेश्वर शर्मा, टी0सी0					
	श्री विनोद राम, टी0सी0					
	श्री ओमप्रकाश, अनुसेवक					
	श्री सरयू मांझी, अनुसेवक					
2013–14	श्री अवधकिशोर शर्मा, टी0सी0	587440	1609.42	905.08	346779.20	
	श्री बिनोद राम, टी0सी0					
	श्री गणेश प्रसाद, टी0सी0					
कुल					964019.75	

अंकेक्षण टिप्पणी :–

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि विभागीय वसूली में प्रतिवर्ष निगम को ₹964019.75 की राजस्व क्षति हुई ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जवाब संतोषजनक नहीं है। राजस्व क्षति की राशि ₹964019.75 की वसूली संबंधित तत्कालीन विभागिए वसूलीकर्ता से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0 7 नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चापाकल मरम्मति व रख– रखाव में अनियमित व्यय

अंकेक्षण में 01.03.11 से संधारित संचिका प्रस्तुत किया गया। दिनांक 01.03.11 को खराब चापाकल के रख–रखाव हेतु अभिरूची के अभिव्यक्ति का दर प्राप्त हुआ तथा इसे खोला गया। इसमें दो निविदादाता द्वारा तकनीकी बिल समर्पित किया गया था। इनके नाम इस प्रकार थे:–

1. श्री इन्द्रभूषण कुमार, मोहल्ला खासगंज, पो0 सोहसराय, जिला नालंदा। वर्तमान पता मगध कोल्ड स्टोरेज, ग्राम+पो0 कुजापी, गया, फोन नं0 0631–2480251
2. मे0 मगध टयुबवेल इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद, महल्ला खासगंज, पो0 सोहसराय, जिला नालंदा। वर्तमान पता मगध कोल्ड स्टोरेज, ग्राम+पो0 कुजापी, गया।
   फोन नं0 0631–2480251

क्र0सं0 01 के संवेदक पी0एच0ई0डी0 से निबंधित नहीं थे। साथ हीं क्र0 02 के संवेदक द्वारा अग्रधन की राशि ₹02 लाख नहीं दिया गया था। इस आधार पर 16.04.11 को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निविदा रदद् करने की अनुशंसा की गयी थी।

पुनः 30.04.11 को निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे एक स्तर उपर सशक्त स्थायी समिति के पास भेजा जाय। 23.04.11 को क्रम सं0 02 के संवेदक द्वारा राशि ₹2 लाख जमा किया गया।

दिनांक 3.05.11 को सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0 07 के द्वारा दर वार्ता कर (क्र0सं0 2) नगर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर एकरारनामा किया जाय।

दर वार्ता के अनुसार 30.08.11 से डी0टी0 चापाकल 520 अदद हेतु ₹4500 प्रति अद्द तथा शैलो चापाकल 230 अद्द हेतु रूपये 2200 प्रति अद्द का एकरारनामा 05 वर्ष के लिये दिनांक 30.12.11 को किया गया तथा प्रति वित्तीय वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का एकरारनामा हुआ। बिल त्रैमासिक देना था। इस प्रकार एकरारनामा राशि इस प्रकार हैः–

वर्ष 2011–12	–	₹ 1660166.00
वर्ष 2012–13	–	₹ 3130600.00
वर्ष 2013–14	–	₹ 3443660.00
वर्ष 2014–15	–	₹ 3788026.00
वर्ष 2015–16	–	₹ 4166828.00

कुल ₹ 16189280.00

इनके द्वारा 31.03.13 तक कुल ₹ 4696743.00 का बिल समर्पित किया गया जिसमें से आयकर व लेबर कर ₹ 128686.00 की कटौति कर राशि ₹ 4568057.00 का भुगतान किया गया था। 01.4.13 के पश्चात की गणना निम्न हैः–

क्र0	बिल की अवधि	बिल की राशि	कटौति की राशि	भुगतान की राशि	भुगातन की तिथि
1	01/13 to 03/13	782648	25357	757291	02.07.13
2	04/13 to 06/13	853798	27664	826134	10.07.13
3	07/13 to 09/13	853798	27664	826134	31.10.13
4	10/13 to 12/13	853798	27664	826134	24.01.14
		3344042	Total	32,35,693.00	

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. खराब चापाकल के मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु अभिरूची के अभिव्यक्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन कब किया गया था।
2. तकनीकी बीड में मात्र एक ही संवेदक सफल थे। इसे रदद् नहीं किया गया। चूंकि यह 05 वर्ष के लिये था तथा यह ₹ 1.61 करोड़ की योजना थी।

उक्त कार्य की मापी पुस्त अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। मापी पुस्त में यह नहीं लिखा हुआ था कि डी0टी0/शैलों चापाकल की मरम्मति किया गया था अथवा नहीं दोनों का दर अलग–अलग था। इसके बिना यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि कितने अद्द डी0टी0 चापाकल अथवा कितने अदद शैलों चापाकल की मरम्मति की गयी।